



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231878
CG-DL-E-15122021-231878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4827]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 4827]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5208(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) के पहले परन्तुक के खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 277(अ) तारीख 21 जनवरी, 2015 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 29 जनवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी, का उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, घोषित करती है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित कारखानों के कार्य के प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	कारखाने का नाम और पता
(1)	(2)
श्री अशोक कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक, (यांत्रिक), एनएमडीसी लोह और इस्पात संयंत्र, नागरनार, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ - 494001।	एनएमडीसी लोह और इस्पात संयंत्र, नागरनार, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़ - 494001।

[फा. सं. 6(4)2008-आरएम-1 (खंड 2)]
रसिका चौबे, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2021

S.O. 5208(E).—In pursuance of sub clause (iii) to the first proviso of clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Steel number S.O. 277(E), dated the 21st January, 2015, published in The Gazette of India, Extraordinary dated the 29th January, 2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the person mentioned in column (1) of the Table below appointed to manage the affairs of the factory mentioned in corresponding entry in column (2) of the said Table shall be deemed to be the occupier for the purpose of said Act, namely:-

TABLE

Name, designation and address of the Officer	Name and address of the factory
(1)	(2)
Shri Ashok Kumar Mishra, General Manager (Mechanical), NMDC Iron and Steel Plant, Nagarnar, District Bastar, Chhattisgarh – 494001.	NMDC Iron and Steel Plant, Nagarnar, District Bastar, Chhattisgarh – 494001.

[F. No. 6(4)2008-RM-I (Vol.II)]

RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.